[2021] 8 एस सी आर 360

मेसर्स केमिनोवा इंडिया लिमिटेड और एएनआर।

वी.

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 750)

4 अगस्त, 2021

[नवीन सिन्हा और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे।]

कीटनाशक अधिनियम, 1968: एस. 33-गलत ब्रांडिंग का आरोप

अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत-निर्माण कंपनी और

अपीलार्थी-कंपनी के प्रबंध निदेशक और अन्य अभियुक्त

एसएस के तहत। 3 (के) (आई), 17,18 और 33-उच्च न्यायालय ने शिकायत को रद्द करने के लिए याचिका को खारिज कर दिया-तत्काल अपील में, अपीलकर्ताओं की याचिका यह थी कि उन्होंने प्रबंधक को कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में नामित किया था ताकि कंपनी की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके।

कंपनी द्वारा निर्मित कीटनाशकों ने कंपनी की बैठक के संकल्प के साथ उत्तरदाताओं के समक्ष इस आशय का वचन पत्र दायर किया था-आयोजितः प्रत्यर्थियों के साथ वचन पत्र दाखिल करना विवादित नहीं है-अधिनियम का विशिष्ट प्रावधान

कंपनियों द्वारा अपराध से निपटने में कहा गया है कि केवल कंपनी के साथ-साथ अकेले कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति को ही माना जाएगा। अपराध का दोषी होना और उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होना इसके मद्देनजर, कंपनी के प्रबंध निदेशक पर अस्पष्ट आरोप पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है कि वह प्रबंध निदेशक होने के नाते कंपनी के व्यवसाय के संचालन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार था-जैसा कि कंपनी के अन्य सभी नामित/जिम्मेदार व्यक्ति पहले से ही शिकायत में आरोपी हैं, अपीलकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है-कथित अपराधों के लिए उस पर मुकदमा चलाने के लिए प्रबंध निदेशक-हालाँकि, इस स्तर पर अपीलकर्ता-कंपनी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.202-अपीलार्थी की याचिका कि शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने से पहले, मजिस्ट्रेट

एस के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। 24 (4) कीटनाशक अधिनियम और एस। 202 Cr.PC और यद्यपि अपीलार्थी

मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहते हैं,

उचित जाँच किए बिना अपराध का संज्ञान लिया गया और जाँच का आदेश दिया गयाः विधायिका अपने विवेक में स्वयं लोक सेवक को एक अलग आसन पर रखा है, जैसा कि है

एस के लिए परंतुक के अवलोकन से स्पष्ट। 200 संहिता-उन मामलों में जहां अभियुक्त ऐसे मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं, संज्ञान लेने से पहले जांच/जांच करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाता है। 200 संहिता के अनुसार, मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेते समय ऐसे लोक सेवक का बयान दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जिसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में शिकायत दर्ज की है। 293 संहिता की रिपोर्ट, सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट, अपने आप में, साक्ष्य में स्वीकार्य है-दंड प्रक्रिया संहिता स्वयं ऐसे गवाहों की जांच से छूट प्रदान करती है, जब कोई लोक सेवक द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है-तत्काल मामले में, दूसरे प्रतिवादी/लोक सेवक ने कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट सहित कई दस्तावेजों को संलग्न करते हुए शिकायत दर्ज की थी, इसलिए, यह हमेशा सरकारी प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट सहित कई दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खुली थी। मजिस्ट्रेट ऐसी शिकायत पर प्रक्रिया जारी करेगा जो दस्तावेजों द्वारा समर्थित थी किसी भी स्थिति में, प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं है कि कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द किया जाना है कि मजिस्ट्रेट ने संचालन किए बिना संज्ञान लिया है।

जाँच और जाँच का आदेश-इस स्तर पर अपीलार्थी के प्रति कोई पूर्वाग्रह दिखाने के अभाव में, एस के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। 482 संहिता कीटनाशक अधिनियम, 1968: एसएस। 24 (4) . 33 .

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अधिनियम की धारा 33 'कंपनियों द्वारा अपराधों' से संबंधित है। अधिनियम की धारा 33 (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जब भी इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है

एक कंपनी, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय था

कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रतिबद्ध, प्रभारी था, या कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए और तदनुसार दंडित किया जाए। हाथ में मामले में, यह विवाद में नहीं है कि प्रथम अपीलार्थी-कंपनी की ओर से, द्वितीय अपीलार्थी-प्रबंध निदेशक ने एक

यह संकेत देते हुए कि कंपनी के प्रबंधक श्री मधुकर आर. गिते को कीटनाशकों [2021] 8 एस. सी. आर. की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उक्त कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार होने के लिए 28.12.2012 पर कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव में नामित किया गया है।

अधिनियम के तहत। प्रत्यर्थी के साथ इस तरह के वचन को दाखिल करना विवादित नहीं है। कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से निपटने वाले अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, जो गंजे और अस्पष्ट आरोप लगाकर अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी की जिम्मेदारी और जिम्मेदार व्यक्ति को निर्धारित करता है, दूसरा अपीलार्थी प्रबंध निदेशक पर अस्पष्ट आरोप पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है कि वह प्रथम अपीलार्थी-कंपनी का प्रबंध निदेशक होने के नाते, कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार व्यक्ति है।

कंपनी और गुणवत्ता नियंत्रण, आदि। द्वितीय अपीलार्थी-प्रबंध निदेशक के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देना और कुछ नहीं, बल्कि दुरुपयोग है।

कानून की प्रक्रिया। साथ ही, इस स्तर पर प्रथम अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।

कंपनी। [पैरा 9] [366-जी-एच; 367-ए-ई; 368-ए-बी] 1.2 इसके अलावा, उत्तरदाता 1 और 2 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में दिए गए कथनों और अन्य सामग्री से

अभिलेख, अपीलार्थियों की इस दलील को स्वीकार करके कि अधिनियम की धारा 24 (4) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया जाता है। के संबंध में

अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत प्रक्रिया, पहली अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला में दूसरा नमूना भेजने के लिए आवश्यक डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के बाद, तुरंत कदम उठाए गए और केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर रिपोर्ट भी भेजी गई।

30 दिन होते हैं। इसी तरह, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत विचार की गई प्रक्रिया के संबंध में, इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है जिसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में शिकायत दर्ज की है। विधायिका ने अपने विवेक से लोक सेवक को एक अलग पायदान पर रखा है, जैसा कि दंड संहिता की धारा 200 के प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट होगा। प्रक्रिया। ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त ऐसे मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं, संज्ञान लेने से पहले जांच/जांच करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के प्रावधान के आधार पर, मजिस्ट्रेट, मेसर्स चेमिनोवा इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर.

वी. पंजाब राज्य और ओ. आर. एस.

संज्ञान लेते समय, ऐसे लोक सेवक का बयान दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जिसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के आधार पर, सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट साक्ष्य में स्वीकार्य है। दंड प्रक्रिया संहिता स्वयं ऐसे गवाहों की जाँच से छूट प्रदान करती है, जब एक लोक सेवक द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है। वर्तमान मामले में, द्वितीय प्रतिवादी/लोक सेवक, के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों ने शिकायत दर्ज की है, जिसमें रिपोर्ट सहित कई दस्तावेज शामिल हैं।

सरकारी प्रयोगशालाएँ, मजिस्ट्रेट के लिए हमेशा खुली रहती हैं।

ऐसी शिकायत पर प्रक्रिया जारी करना जो दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो। कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने इसके बिना संज्ञान लिया है।

जाँच करना और जाँच का आदेश देना। की अनुपस्थिति में इस स्तर पर अपीलार्थी को हुए किसी भी पूर्वाग्रह को दर्शाते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग में कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। कंपनी के अन्य सभी नामित/जिम्मेदार व्यक्ति पहले से ही हैं।

शिकायत में अभियुक्त, दूसरे अपीलार्थी-प्रबंध निदेशक के खिलाफ कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है। [पैरा 10,11] [368-बी-एच; 369-ए-सी]

प्रबंध निदेशक, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड बनाम। की स्थिति कर्नाटक और अन्र। (2018) 17 एस. सी. सी. 275; शिवकुमार

जटिया बनाम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (2019) 17 एस. सी. सी. 193:

[2019] 11 एस. सी. आर. 210-संदर्भित।

रीः धारा 138 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई एन. आई. अधिनियम, 1881 (स्वतः संज्ञान रिट याचिका (क्र. सं.)) का सं. 2

2020) (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 325-विशिष्ट

मामला कानून संदर्भ

(2018) 17 एससीसी 275

पै

रा 6 (ए)

संदर्भित किया गया है

[2019] 11 एससीआर 210

पै

रा 6 (ए)

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का No.750।

उच्च न्यायालय के 12.05.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के सी. आर. एम.-एम. No.12082 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गुरु कृष्णकुमार, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. हरिहरन, नितिन थताई, सुश्री जयक्रिती एस. जडेजा, सुश्री स्नेहा रवि अय्यर, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, करणवीर गोगिया, सुश्री शिवांगी सिंघल, सुश्री आशिमा मंडला, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह आपराधिक अपील याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा दायर की जाती है। 3 और 4 उच्च न्यायालय के समक्ष सी. आर. एम.-एम.-12082-2016 (ओ. एंड. एम.) में

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा, दिनांकित आदेश से व्यथित 12.05.2020 . उपरोक्त आदेश द्वारा, याचिकाकर्ताओं द्वारा कीटनाशक अधिनियम, 1968 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रतिवादी संख्या 2-गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, भिखीविंड, जिला तरन तारन, पंजाब द्वारा दायर शिकायत संख्या 313 दिनांक 19.08.2015 को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने गोदाम प्रभारी के रूप में काम कर रहे अन्य अभियुक्तों के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया और कार्यवाही को रद्द कर दिया।

3. प्रथम अपीलार्थी एक कंपनी है, जिसका कार्यालय मुंबई में है, जो कीटनाशकों के निर्माण में लगी हुई है। दूसरा अपीलार्थी कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक थे। 31.12.2013 को, गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, भिखीविंड, जिला तरन तारन, पंजाब ने मेसर्स के परिसर का निरीक्षण किया। ढिल्लों खेती स्टोर के एकमात्र मालिक श्री निशान सिंह की उपस्थिति में। उक्त निशान सिंह प्रथम अपीलार्थी-कंपनी के लिए कीटनाशकों को बेचने के लिए अधिकृत विक्रेता थे। निरीक्षण के समय, निरीक्षण अधिकारी को छह डिब्बे मिले जिनमें से प्रत्येक में 25 पैकेट थे।

पिरोक्सोफॉप प्रोपेनिल (क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जिल 15 प्रतिशत डब्ल्यूपी), जिसमें प्रत्येक पैकेट का वजन 160 ग्राम है, परिसर में भंडारित है। उपरोक्त से

15 प्रतिशत की लेबल की गई घोषणा के मुकाबले केवल 11.72% की सीमा तक पाया गया। रिपोर्ट की एक प्रति अमृतसर के डीलर को कारण बताए जाने के नोटिस के साथ भेजी गई थी। द्वारा चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर विक्रेता, यह दर्शाते हुए कि उसने प्रथम अपीलार्थी-कंपनी से प्रश्नगत कीटनाशक खरीदे थे, प्रथम अपीलार्थी-कंपनी को भी कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था, जिसकी विनिर्माण इकाई मेसर्स केमिनोवा इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. में है।

भरूच, गुजरात और कंपनी के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कंपनी की ओर से दूसरे अपीलार्थी ने फरीदाबाद में केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला को एक और नमूना भेजने का अनुरोध किया और आवश्यक शुल्क जमा करने के बाद, एक और नमूना केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला को भेजा गया, जिसने बताया कि नमूने को गलत ब्रांड किया गया था क्योंकि इसमें सक्रिय घटक का केवल 15 प्रतिशत था, जैसा कि पैकेट पर लेबल किया गया था। सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद, न्यायिक आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई।

मजिस्ट्रेट अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्तों पर अपराधों के लिए मुकदमा चलाएगा

4. अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्तों ने विभिन्न आधारों पर उक्त शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जहाँ तक अपीलार्थियों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर दिया है और गोदाम चौकीदार के लिए आवेदन को मंजूरी दे दी है। 5. श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ वकील, अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए और सुश्री जसप्रित गोगिया, विद्वान वकील, उपस्थित हुए।

उत्तरदाताओं के लिए।

6. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 33 का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थियों ने पहले ही उत्तरदाताओं के समक्ष दिनांक 22.01.2013 का एक वचन पत्र दायर कर दिया है, जिसमें 28.12.2012 पर आयोजित कंपनी की बैठक के संकल्प के साथ-साथ कंपनी द्वारा निर्मित कीटनाशकों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रभारी और जिम्मेदार अधिकारियों को नामित किया गया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अस्पष्ट और गंजे आरोप लगाकर, अपीलकर्ता, जो कंपनी और प्रबंध निदेशक थे, पर भी मुकदमा चलाने की मांग की जाती है।

6 (ए)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक कि शिकायत में कोई स्पष्ट और स्पष्ट कथन नहीं है, जो अपीलार्थियों द्वारा निभाई गई भूमिका का संकेत देता है,

प्रथम अपीलार्थी-कंपनी और द्वितीय अपीलार्थी-प्रबंध निदेशक पर कथित अपराध करने के लिए कोई प्रत्यावर्ती दायित्व नहीं हो सकता है। उनकी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रबंध निदेशक, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है और शिव कुमार जटिया बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य दिल्ली के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भी भरोसा किया है।

1 1 2018 (17) एससीसी 275

2 2019 (17) एससीसी 193 [2021] 8 एस. सी. आर.

6 (बी)। विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने से पहले, विद्वान मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 24 (4) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत अनुध्यात प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि, अपीलकर्ता मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं, उचित जांच किए बिना और जांच का आदेश दिए बिना, अपराध का संज्ञान लिया जाता है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि

अपीलार्थियों के खिलाफ अभियोजन, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए विभिन्न आधारों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है और उनके आवेदन को खारिज कर दिया है।

शिकायत को रद्द करना। अपने इस तर्क के समर्थन में कि मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया हैः एन. आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई (स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सी. आर. एल.)) 2020 की सं. 2) 3.

7. दूसरी ओर, विद्वान वकील, के लिए उपस्थित

अधिनियम की धारा 24 (4) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत और उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी संख्या 2 सुसंगत समय पर कंपनी का प्रबंध निदेशक था, जैसे कि वह कंपनी के उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार व्यक्ति है, जैसे कि वह अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी है। 8. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हमने विवादित आदेश और अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्री का अध्ययन किया है।

9. अधिनियम की धारा 33 'कंपनियों द्वारा अपराधों' से संबंधित है। अधिनियम की धारा 33 (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जब भी इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था, या कंपनी के लिए जिम्मेदार था।

32021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 325 एम/एस. चेमिनोवा इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. पंजाब राज्य और ओ. आर. एस. [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

तदनुसार। हाथ में मामले में, यह विवाद में नहीं है कि प्रथम अपीलार्थी-कंपनी की ओर से, द्वितीय अपीलार्थी-प्रबंध निदेशक ने 22.01.2013 दिनांकित एक वचन पत्र प्रस्तुत किया, जो दर्शाता है कि प्रस्ताव में कंपनी के प्रबंधक श्री मधुखर आर. गीते को नामित किया गया है।

कीटनाशकों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उक्त कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार होने के लिए कंपनी द्वारा 28.12.2012 पर पारित किया गया

उक्त कंपनी द्वारा विनिर्मित और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत था, जो आवश्यक हो या

अधिनियम के तहत किसी भी अपराध को रोकने के लिए समीचीन। प्रत्यर्थी के साथ इस तरह के वचन को दाखिल करना विवादित नहीं है। यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में पैरा 5.10 में भी प्रत्यर्थियों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि कंपनी के मामलों, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को नियुक्त करके, दूसरा अपीलकर्ता-प्रबंध निदेशक प्रथम अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा किए गए अपराधों से अपने दायित्व से बच नहीं सकता है। कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से निपटने वाले अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, जो कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदारी और जिम्मेदार व्यक्ति को निर्धारित करता है, गंजे और अस्पष्ट आरोप लगाकर, दूसरे अपीलार्थी-प्रबंध निदेशक पर अस्पष्ट आरोप पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है कि वह पहली अपीलार्थी कंपनी का प्रबंध निदेशक होने के नाते, व्यवसाय के संचालन के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार व्यक्ति है।

कंपनी और गुणवत्ता नियंत्रण, आदि। तत्काल मामले में, कंपनी ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रबंधकों में से एक श्री मधुर आर. गाइट की जिम्मेदारी तय की गई है और इसे दूसरे अपीलार्थी द्वारा 22.01.2013 पर एक वचन के रूप में उत्तरदाताओं को प्रस्तुत किया गया था। जब उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी तय करने वाले ऐसे उपक्रम को प्रस्तुत करना विवाद में नहीं है, तो दूसरे अपीलार्थी प्रबंध निदेशक पर मुकदमा चलाने का कोई कारण या औचित्य नहीं है, इस अस्पष्ट और विशाल याचिका पर कि वह प्रासंगिक समय पर कंपनी के प्रबंध निदेशक थे। अधिनियम की धारा 33 को पढ़ने से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल जिम्मेदार व्यक्ति

कंपनी के साथ-साथ अकेले कंपनी को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, प्रबंध निदेशक कंपनी के मामलों का समग्र प्रभारी होता है, ऐसे अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर निर्भर करता है। अधिनियम की धारा 33 के तहत विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और

वर्तमान मामले में दायर किए गए वचन के अनुसार, प्रतिवादी [2021] 8 एस. सी. आर. पर मुकदमा नहीं चला सकता है।

कानून। साथ ही, हमें इस स्तर पर प्रथम अपीलार्थी-कंपनी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिलता है। 10. इसके अलावा, उत्तरदाता 1 और 2 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में किए गए कथनों और अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्री से, हम

उनका विचार है कि इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, अपीलार्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए कि प्रक्रिया

अधिनियम की धारा 24 (4) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत अनुध्यात का पालन नहीं किया जाता है। अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत प्रक्रिया के संबंध में, हम संतुष्ट हैं कि प्रथम अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला में दूसरा नमूना भेजने के लिए आवश्यक डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के बाद, तुरंत कदम उठाए गए और 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर केंद्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा रिपोर्ट भी भेजी गई। इसी तरह, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत विचार की गई प्रक्रिया के संबंध में, इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है जिसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में शिकायत दर्ज की है। विधायिका ने अपने विवेक से लोक सेवक को एक अलग पायदान पर रखा है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के परंतुक के अवलोकन से स्पष्ट होगा। रखने का उद्देश्य

संज्ञान लेने से पहले जांच/जांच, उन मामलों में जहां आरोपी ऐसे मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के प्रावधान के आधार पर, मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेते समय ऐसे लोक सेवक का बयान दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जिसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के आधार पर, सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट साक्ष्य में स्वीकार्य है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रक्रिया स्वयं ऐसी जाँच से छूट प्रदान करती है।

गवाह, जब एक लोक सेवक द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है। वर्तमान मामले में, दूसरे प्रतिवादी/लोक सेवक ने कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिकायत दायर की है, जिसमें सरकारी प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट सहित कई दस्तावेज शामिल हैं, मजिस्ट्रेट के लिए ऐसी शिकायत पर प्रक्रिया जारी करने के लिए हमेशा खुला है जो दस्तावेजों द्वारा समर्थित है। किसी भी स्थिति में, हम विद्वान वकील की प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द किया जाना है कि मजिस्ट्रेट ने मेसर्स चेमिनोवा इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. का संज्ञान लिया है।

वी. पंजाब राज्य और ओ. आर. एस. [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

बिना जाँच किए और जाँच का आदेश दिए। इस स्तर पर अपीलार्थी के प्रति कोई पूर्वाग्रह दिखाने के अभाव में, इसके तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482।

11. कंपनी के अन्य सभी नामित/जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में

कथित अपराधों के लिए उस पर मुकदमा चलाएँ। इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत प्रावधानों के संदर्भ में हैः एन. आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई (स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सी. आर. एल.)) 2020 का सं. 2) 3, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर अपीलार्थियों के लिए भी बहुत मददगार नहीं है।

12. जहाँ तक अपीलार्थी सं. 2-प्रबंध निदेशक का संबंध है, उपरोक्त कारणों से इस आपराधिक अपील की आंशिक रूप से अनुमति है और

नं. 2 श्री प्रमोद एन. कार्लेकर/अभियुक्त नं. 4। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में दर्ज टिप्पणियाँ और निष्कर्ष केवल रद्द याचिका से उत्पन्न इस अपील के निपटारे के उद्देश्य से किए गए हैं और यह निचली अदालत के लिए रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज करने और कानून के अनुसार ऐसे अन्य कदम उठाने के लिए खुला है। देविका गुजराल

अपील की

आंशिक रूप से अनुमति है।